# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

**अपील(सू.का.अ)संख्या 85/2022** बउनवानी सुश्री पदमिनी राठौर बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र0अधि0 राजस्व अनुभाग निवासी मॉ फार्म रणथम्भौर रोड़ सवाईमाधोपुर

**GCMS No-2022/165**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **27.9.2022** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.6.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–<br><br>1- Report filed by survey team done on order of District Collector to know about 1/50th construction by Khatedhars around Ranthambhore National Park after Permission of Tehsildhar.<br>2- Whether any notice were given to survey. if Pls give copies of notice<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br><br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/9099 दिनांक 22.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित दस्तावेज राजस्व अनुभाग मे उपलब्ध नही है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 9098 दिनांक 22.9.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सर्वे रिर्पोट कार्यालय मे प्रस्तुत नही होने के कारण तथा सर्वे कमेटी को कोई नोटिस नही दिये जाने के कारण बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।<br><br>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.6.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि " बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सर्वे रिर्पोट कार्यालय मे प्रस्तुत नही होने के कारण तथा सर्वे कमेटी को कोई नोटिस नही दिये जाने के कारण बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Suresh Kumar Ola<br>Date: 2023.03.17 17:34:08 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(सुरेश कुमार ओला)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |